दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004

सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/ दिनांक: 07.12.2021

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 231/2021

विषय:- सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस-97) के सम्बंध में ।

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं.2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस दिनांक: 24.11.2021 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	2011/H/28/1/RELHS/Court Case dt.31.05.2012	94/2012
2.	2011/H/28/1/RELHS/Court Case dt.31.07.2018	226/2018

उपरोक्त नियम दपूमरे की अधिकारिक वेब-साइट http://www.secr.indianrailways.gov.in एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—About us—Department—Personnel—Estt. Rules.

Share Folder-

Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.

07.12.21
(अशोक कुमार शर्मा)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

ER 231/21

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2021

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां,
आरडीएसओ एवं एनएआईआर।
SECR

(15)

विषय: सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना (आरईएलएचएस-97) के संबंध में।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड के दिनांक 31.05.2012 और 31.07.2018 के समसंख्यक पत्र।
ER 94/12 ..... ER 226/18

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त उल्लिखित पत्र की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें मार्च 2009 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। मार्च 2009 से 31.05.2012 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आरईएलएचएस में शामिल होने की अवधि एक वर्ष अर्थात 31.05.2013 तक उपलब्ध थी। बहरहाल, रेल मंत्रालय में पिछले कुछ समय से आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने की अवधि शुरू करने के मामले पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में विभिन्न कर्मचारी एसोसिएशनों/एनएफआईआर/एआईआरएफ से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

इस मामले की ध्यानपूर्वक और विस्तृत जांच करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के दिनांक 31.05.2012 के उक्त संदर्भित पत्र में अंतर्विष्ट आरईएलएचएस-97 में शामिल होने के प्रावधान को निम्नानुसार आशोधित किया जाए:-

"31.05.2012 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में आरईएलएचएस-97 योजना में शामिल होने हेतु सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों/उनके पति-पत्नी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होगी, जिसमें रेलवे अस्पताल के बाहर रेफर करने के लिए छह माह की लॉक-इन-अवधि इस शर्त के साथ होगी कि इस लॉक-इन-अवधि में केवल तात्कालिक परिस्थितियों में ही छूट दी जा सकती है बशर्ते या तो रोगी रेलवे अस्पताल में भर्ती हो अथवा रेलवे अस्पताल गया हो और रेलवे अस्पताल में उस उपचार की सुविधा उपलब्ध न हो। इस प्रकार रेफर किए गए मामलों पर विशेष रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, 01.06.2012 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों/सेवा के दौरान मृत कर्मचारियों के मामले में इन कर्मचारियों/इनके पति-पत्नी और पात्र आश्रितों के लिए आरईएलएचएस योजना में शामिल होना अनिवार्य होगा।

---2/-

आरईएलएचएस में शामिल होने संबंधी अन्य नियमों और शर्तों तथा पहले से उपलब्ध छूट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आरईएलएचएस-97 में शामिल होने की अंशदान दर भी अपरिवर्तित रहेगी अर्थात आरईएलएचएस में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तारीख को "अद्यतन मासिक मूल पेंशन" की दुगुनी राशि। 31.05.2012 तक सेवा के दौरान मृत रेल कर्मचारियों के पति-पत्नी के लिए आरईएलएचएस में शामिल होन की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होगी और मौजूदा नियमों एवं शर्तों के साथ आरईएलएचएस में शामिल होने के लिए आवेदन करने की तारीख को "अद्यतन मासिक मूल परिवार पेंशन" की दुगुनी राशि जमा करनी होगी।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं .2011//28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस

नई दिल्ली, दिनांक-24.11.2021

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।
3. वरिष्ठ प्रोफेसर स्वास्थ्य प्रबंधन, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।

(डॉ. प्रवाल पंत)
निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड

सं.2011/एच/28/1/आरईएलएचएस/कोर्ट केस

नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2021

प्रतिलिपि प्रेषित

1. प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाइयां, आरडीएसओ एवं एनएआईआर।
2. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं .224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलवे बोर्ड

---3/-